

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक / एफ / अका0 / पाठ्यक्रम / 2022 / 906

दिनांक : 20.08.2022

अधिसूचना

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28(2) के अन्तर्गत कुलपति द्वारा वाणिज्य अध्ययन मण्डल का गठन निम्नानुसार किया गया है।

अधिनियम की धारा

नाम निर्देशित सदस्य का नाम

28(2)एक

1. प्रो० उमेश होलानी (आचार्य)
 2. प्रो० के०एस० ठाकुर (आचार्य)
 3. प्रो० एस०के० सिंह (आचार्य)
- वाणिज्य अध्ययनशाला जी०वि०वि० ग्वालियर।

28(2)दो

1. डॉ० आर०सी० गुप्ता (प्राध्यापक)
शा० एम०एल०बी० उत्कृष्ट महा० ग्वालियर।
2. डॉ० गोपाल प्रसाद शर्मा (प्राध्यापक)
शा० श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्ना० महा०
शिवपुरी।

28(2)तीन

1. रिक्त

28(2)चार

1. डॉ० हरीश कुमार अग्रवाल (प्राध्यापक)
शा० के०आर०जी० स्वशासी महा० ग्वालियर।
2. डॉ० एस०एस० वर्मा (सहा० प्राध्यापक)
शा० एम०जे०एस० महा० भिण्ड।

28(2)पाँच


1. डॉ० एल०एस० वंसल (सहा० प्राध्यापक)
शा० स्ना० महाविद्यालय करैरा।
2. डॉ० राजेन्द्र कुमार खटीक (सहा० प्राध्यापक)
वाणिज्य अध्ययनशाला जी०वि०वि० ग्वालियर।

अधिनियम की धारा 28(3) के अन्तर्गत कुलपतिजी द्वारा प्रो० के०एस० ठाकुर (आचार्य) को उक्त अध्ययनमण्डल का अध्यक्ष मनोनीत किया है। इस अध्ययनमण्डल का कार्यकाल दिनांक 01 अगस्त 2022 से तीन वर्ष तक रहेगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. वाणिज्य अध्ययनमण्डल के समस्त सदस्यों की ओर।
2. उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव(गोपनीय/अकादमी/परीक्षा), जी०वि०वि०, ग्वालियर।
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. इंचार्ज, सभा शाखा, /शोध शाखा, अकादमी विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।


उप-कुलसचिव(अकादमी)